न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 11/2026

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2026/46

प्रार्थीगण

1.अणसीदेवी पत्नी मूलाराम
2.दमाराम पुत्र मूलाराम
3.मगाराम पुत्र मूलाराम
4.सालूराम पुत्र देवाराम
जाति जाट निवासी मिठीबेरी तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगण

1.कलाराम पुत्र भोलाराम
2.धनाराम पुत्र भोलाराम
3.भूरीदेवी पत्नी भोलाराम
4.रेखाराम पुत्र भोलाराम
5.कमला पुत्री रुपाराम
6.जोगाराम पुत्र लुम्बाराम
7.देदाराम पुत्र लुम्बाराम
8.नोजीदेवी पत्नि लुम्बाराम
9.उदाराम पुत्र रुगनाथाराम
10.कोजाराम पुत्र ईशराराम
11.गुमनाराम पुत्र मूलाराम
12.गोकलाराम पुत्र ईशराराम
13.गोकलाराम पुत्र भारमल
14.जवाराराम पुत्र कुंभाराम
15.डालुराम पुत्र केहनाराम
16.देवाराम पुत्र केहनाराम
17.पीराराम पुत्र मुलाराम के कायम मुकाम :-
17/1.रूपोदेवी पत्नी पीराराम
17/2.गणेशाराम पुत्र पीराराम
17/3.चुतराराम पुत्र पीराराम
17/4.राजुराम पुत्र पीराराम
17/5.हपियोदेवी पुत्री पीराराम
17/6.टीपुदेवी पुत्री पीराराम
17/7.केसीदेवी पुत्री पीराराम
18.भैराराम पुत्र ईशराराम
19.मालाराम पुत्र भारमल के वारिसान
19/1.मांगीदेवी पुत्री मालाराम
19/2.अणचीदेवी पत्नी भोमाराम पुत्रवधु मालाराम
19/3.सरुपाराम पुत्र भोमाराम

(मुहर: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

नागालिग जरिए कुदरतीवली माता अणचीदेवी

20.लाखाराम पुत्र कुंभाराम

21.सजनोदेवी पत्नी केहनाराम

22.सोनाराम पुत्र भारमल
जाति जाट निवासी मिठीबेरी
तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा

23.सरपंच ग्राम पंचायत साजियाली,

24.शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा पचपदरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

25.शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पचपदरा

26.शाखा प्रबंधक, सैण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कार्यालय खेड़ रोड, बालोतरा तहसील पचपदरा

27.राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार पाटोदी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति-

1.श्री करणसिंह सोलंकी व श्री वगताराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण

2.श्री बाबुलाल सांखला,अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 25

3.विप्रार्थी संख्या 1 से 24 व 26,27 एकपक्षीय

(मोहर: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा)

आदेश

दिनांक 24/4/2026

1.संक्षिप्त में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम **मीठीबेरी,पटवार हल्का साजियाली पदमसिंह तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 575/126 क्षेत्रफल 5.1718 हैक्टेयर भूमि** अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम **मीठीबेरी,पटवार हल्का साजियाली पदमसिंह तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या**

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

575/126 क्षेत्रफल 5.1718 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री बाबुलाल सांखला की ओर से विप्रार्थी संख्या 25 की ओर से वकालतनामा मय जवाब पेश किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 से 24 व 26,27 को विप्रार्थीगण को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण उक्त विप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें उभय पक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम **मीठीबेरी,पटवार हल्का साजियाली पदमसिंह तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 575/126 क्षेत्रफल 5.1718 हैक्टेयर** भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्राथीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम **मीठीबेरी,पटवार हल्का साजियाली पदमसिंह तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 575/126 क्षेत्रफल 5.1718 हैक्टेयर** भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावें।

4.विप्रार्थी संख्या 25 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण की ओर से आवेदन पत्र गलत तथ्यो के आधार पर पेश किया गया है,जो चलने योग्य नहीं है। क्योकि प्रार्थीगण की ओर से रहन भूमि कितनी है,इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। इसके अलावा विवादित भूमि रहन मुक्त नही होने तक नेखमबंदी नही करवाए जा सकती है। अतं में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का का आवेदन खारिज किया जावें।

5.हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम **मीठीबेरी,पटवार हल्का साजियाली पदमसिंह तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 575/126 क्षेत्रफल 5.1718 हैक्टेयर**,भूमि प्रार्थीगण खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079-2082 का

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार होने के कारण विवादित भूमि की सीमाओ को लेकर सेढा पड़ौसीयो मे सीमा विवाद होना बताकर विवादित भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. का उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :-धारा 128 सीमा विवाद-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 06.6.2025 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का स्पष्ट उल्लेख नही है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना-पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

-:आदेशः-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन-पत्र प्रार्थीनी अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम **मीठीबेरी,पटवार हल्का साजियाली पदमसिंह तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 575/126 क्षेत्रफल 5.1718 हैक्टेयर**,भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए विधिनुसार पैमाईश कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पाटोदी को आदेशित किया जाता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

24/04/2026

(अशोककुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 24.04.2026 लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

24/04/2026

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा